(1)

INSTRUCTIONAL FARM

S.K.N. College of Agriculture

Sri Karan Narendra Agriculture University : JOBNER – 303 329

Dr. S.S. Yadav
Officer Incharge Farms

E-mail : officerinc.farm@sknau.ac.in

No. Inst. Farms/Auction/SKNCOA/2023/138 Date: 02/06/2023

अरडू एवं अन्य सूखे/ टूटे हुए पेड़ो की खुली नीलामी सूचना

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के इन्सट्रक्शनल फार्म के महाविद्यालय परिसर एवं विश्वविद्यालय के मुख्य भवन के सामने स्थित क्षेत्र में लगभग 35(पैंतीस) **अरडू के तथा 29 सूखे हुए/ आंधी से टूटे हुए** विभिन्न पेड़ो की खुली नीलामी की जानी है। इच्छुक व्यक्ति या फर्म निर्धारित दिनांक को नियत स्थान पर उपस्थित होकर खुली नीलामी में शामिल हो सकता है।

1.	कार्य का विवरण	इन्सट्रक्शनल फार्म के महाविद्यालय परिसर एवं विश्वविद्यालय के मुख्य भवन के सामने स्थित क्षेत्र में लगभग 35(पैंतीस) अरडू के एवं 29 सूखे हुए/ आंधी से टूटे हुए विभिन्न पेड़ो की खुली नीलामी
2.	नीलामी का दिनांक व समय	09.06.2023 को 11.00 बजे
3.	नीलामी का स्थान	इन्सट्रक्शनल फार्म, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
4.	नीलामी में शामिल होने हेतु अमानत राशि	रूपये 5000.00 (रूपये पांच हजार मात्र)

02/06/23
प्रभारी अधिकारी फार्म

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर।
2. श्रीमान् अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर।
3. श्रीमान् कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर।
4. श्रीमान् संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर।
5. श्रीमान् प्रभारी सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर को प्रस्तुत कर अनुरोध है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईड www.sknau.ac.in पर अपलोड करवायें।
6. सूचना पट्ट, नगर पालिका जोबनेर, ग्राम पंचायत, जोरपुरा, बबेरवालो की ढ़ाणी, डेहरा, ढ़ाणी नागान
7. रक्षित पत्रावली।

02/06/23
प्रभारी अधिकारी फार्म

2

02/06/23

नीलामी हेतु नियम व शर्तें

1. इच्छुक व्यक्ति या फर्म नीलामी हेतु तय अमानत राशि रूपये 5000.00 (रूपये पांच हजार मात्र) जमा करवा कर खुली नीलामी में शामिल हो सकता है। सफल बोलीदाता की अमानत राशी का समायोजन नीलामी राशी में कर लिया जायेगा एवं अन्य बोलीदाताओं की अमानत राशी को नीलामी स्थल पर ही लौटा दिया जायेगा।
2. नीलामी हेतु सरकारी बोली का निर्धारण नीलामी स्थल पर ही किया जायेगा।
3. सफल बोलीदाता को नीलामी स्थल पर ही 50 प्रतिशत नीलामी राशी, अमानत राशी का समायोजन कर के जमा करवानी होगी एवं शेष राशी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जमा करवानी होगी। इसके बाद ही कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दी जायेगी।
4. नीलामी में शामिल पेड़ो की संख्या एवं वास्तविक स्थिति का अवलोकन एवं आंकलन इच्छुक बोलीदाता या फर्म प्रतिनिधि नीलामी होने से पहले कार्यालय समय में कभी भी कर सकता है।
5. नीलामी में शामिल सभी पेड़ो को लगभग 4 से 5 फीट खोदकर जड़ सहित निकालना होगा। पेड़ो को निकालने के कारण हुये खड्डों को मिट्टी से भरकर जमीन को वापस समतल करना होगा।
6. पेड़ो की लकड़ी के साथ ही बचे हुये सभी अवशेषों को हटा कर पूरी तरह से सफाई करनी होगी।
7. पेड़ो को निकालने व लकड़ी ले जाने का कार्य कार्यालय समय में ही फार्म अधिकारी या कर्मचारी की उपस्थिति में करना होगा।
8. किसी भी प्रकार की आपत्ति या विवाद की स्थिति में कार्य को तुरन्त प्रभाव से रोकना होगा तथा निपटारा होने पर ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।
9. **पेड़ो को निकालने का सम्पूर्ण कार्य कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 10 दिनों के अन्दर पूरा करना होगा। इसके पश्चात पेड़ों पर नीलामीदाता का कोई अधिकार नहीं होगा।**
10. पेड़ो को निकालने के समय किसी भी प्रकार के नुकसान या दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं नीलामीदाता की होगी एवं नुकसान की भरपाई विश्वविद्यालय नियमानुसार नीलामीदाता से करवाने का अधिकार प्रभारी अधिकारी फार्म को होगा।